कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, हरिद्वार।

संख्याः 3282 /आब0सहा0/2020–21 दिनांक 16 जून, 2020,

सार्वजनिक सूचना

उत्तराखण्ड शासन, आबकारी अनुभाग की अधिसूचना संख्या 135/XXIII/2020/04(1)/2020 देहरादून दिनांक 22.02.2020 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020–21 (दिनांक 01.04.2020 से 31.03.2021 तक) हेतु घोषित आबकारी नीति व उत्तराखण्ड आबकारी (देशी मदिरा/विदेशी मदिरा/बीयर की फुटकर बिकी के अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन) नियमावली–2001 तथा पत्र संख्या 17704/सात लाई–वी–369/व्यय/2020–21/सा0 निर्देश/विज्ञप्ति/ दे0दून0 तददिनांक 24.02.2020 व प्रचलित आबकारी नियमों में दी गई व्यवस्था के क्रम में वर्ष 2020–21 की शेष अवधि के लिए जनपद हरिद्वार की निम्नवर्णित एफ0एल0–5डी (विदेशी शराब व बीयर) की फुटकर दुकानों का पूर्ण/अधिकतम प्राप्त राजस्व के अनुसार पुर्नव्यवस्थापन किया जाना है जिसके लिए निम्नवत कार्यक्रमानुसार इच्छुक समस्त उत्तराखण्ड निवासियों से निर्धारित तिथि तक कार्यालय समय में आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं–

क्र0सं0	विवरण	स्थान, दिनांक व समय
1	निर्धारित पूर्ण राजस्व पर आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि व समय	दिनांकः 22.06.2020 को 12:00 बजे अपराह्न तक अपर जिलाधिकारी (प्र0) कार्यालय, रोशनाबाद, हरिद्वार में
2	आवेदन पत्र परीक्षण का समय	दिनांकः 22.06.2020 को 12:00 बजे अपराह्न से 13.00 बजे अपराह्न तक
3	प्राप्त आवेदनों पर लॉटरी प्रकिया का समय	दिनांकः 22.06.2020 को 13:00 बजे अपराह्न से प्रकिया समाप्ति तक
4	पूर्ण राजस्व पर आवेदन प्राप्त न होने की दशा में अधिकतम राजस्व के सीलबन्द ऑफर/प्रस्ताव पर आवेदन प्रस्तुत करने का समय	दिनांकः 22.06.2020 को अपराह्न 13:15 बजे से अपराह्न 16:30 बजे तक अपर जिलाधिकारी (प्र0) कार्यालय, रोशनाबाद, हरिद्वार में
5	ऑफर/प्रस्ताव खोले जाने का समय	दिनांकः 22.06.2020 को अपराह्न 17:00 बजे कलेक्ट्रेट सभागार, रोशनाबाद में

पुर्नव्यवस्थापनार्थ मदिरा की दुकानों का विवरण निम्नवत है–

क्र0 सं0	दुकान का प्रकार	दुकान का नाम	कुल निर्धारित राजस्व	शेष अवधि हेतु एम0जी0डी0	अनुज्ञापन शुल्क	धरोहर धनराशि
01	विदेशी मदिरा	रामनगर कैम्प	60251178	59648178	603000	1506279
02	विदेशी मदिरा	सिविल लाईन/बस अड्डा	40931507	40522507	409000	1023288

मदिरा की दुकानों के सम्बन्ध में अन्य/विस्तृत जानकारी विभागीय वैबसाईट www.uttrakhandexcise.org.in अथवा www.haridwar.nic.in पर अथवा कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, हरिद्वार अथवा क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षकों के कार्यालय से भी कार्यालय समय में प्राप्त की जा सकती है। दुकानों के आवंटन/निविदा के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय लेने का पूर्ण अधिकार जिलाधिकारी/लाईसेंसिंग प्राधिकारी/आवंटन समिति का होगा।

(पवन कुमार सिंह)
जिला आबकारी अधिकारी,
हरिद्वार।

प्रतिलिपि–

1. आबकारी आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।
2. जिलाधिकारी महोदय की सेवा में अवलोकनार्थ प्रेषित।
3. अपर जिलाधिकारी (प्र0), हरिद्वार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. उपायुक्त, आई0टी0 अनुभाग, मुख्यालय को इस अनुरोध के साथ कि विभागीय वैबसाईट पर उक्त को अपलोड कराने का कष्ट करें।
5. समस्त उप जिलाधिकारी/तहसीलदार, जनपद हरिद्वार को उनके कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पानगी हेतु प्रेषित।
6. जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, हरिद्वार को एनआईसी की वैबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
7. सम्पादक, अमर उजाला/हिन्दुस्तान/दैनिक जागरण, दैनिक समाचार पत्र को इस आशय से कि उपरोक्त सार्वजनिक सूचना को उत्तराखण्ड राज्य के समस्त संस्करणों में दिनांक 17.06.2020 के अंक में न्यूनतम स्थान में शासकीय दर पर प्रकाशित कर बीजक कार्यालय में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
8. आबकारी निरीक्षक, क्षेत्र–1/2/3 जनपद हरिद्वार को व्यापक प्रचार प्रसार एवं नोटिस बोर्ड पर चस्पानगी हेतु।
9. नोटिस बोर्ड, कार्यालय।

जिला आबकारी अधिकारी,
हरिद्वार।